बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– मलवरी, तसर एवं अंडी कीटपालकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2018–19 में रू0 19,98,000/– (उन्नीस लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने मलवरी, तसर एवं अंडी कीटपालकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2018–19 में रु0 19,98,000/– (उन्नीस लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 19,98,000/– का व्यय मुख्य शीर्ष– 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास विपत्र कोड– 23-2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष– 0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय से विकलित होगा।

3. योजना का कार्यान्वयन एवं स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, स्वीकृत राशि एवं जिलावार लाभुकों की संख्या निम्नवत् होगा–

प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कार्यान्वियन एजेंसी/पदाधिकारी	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार	स्वीकृत राशि (रु0 लाख में)
मलवरी पौधारोपण एवं कीटपालन	200	जीविका	सहायक उद्योग निदेशक(रे0), पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना	6.00
तसर पौधारोपण एवं कीटपालन	266	अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका	अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका	बांका	7.98
अंडी पौधारोपण एवं कीटपालन	200	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	6.00
योग	**666**				**19.98**

(कुल रू0 उन्नीस लाख अंठानवे हजार मात्र)

स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. प्रशिक्षण प्रतिदिन चार घंटे का होगा। प्रत्येक बैच में लाभुकों की संख्या 25 होगी। प्रशिक्षण अवधि 15 दिनों की होगी। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति लाभुक रू0 3000/– का व्यय होगा। इसका विवरण इस प्रकार होगा–

क्र0 सं0	मद	राशि (रू0 में)
1	वृत्तिका रू0 100/–प्रतिदिन	1500/–
2	अल्पाहार रू0 50/– प्रतिदिन	750/–
3	प्रशिक्षण सामग्री (प्रमाणपत्र, अभिलेखीकरण एवं अन्य आकस्मिकताएँ)	450/–
4	वाह्य प्रशिक्षकों का मानदेय	300/–
	कुल	3000/–

5. लाभुकों का चयन संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्क्षता में कार्यान्वयन एजेंसी/पदाधिकारी एवं सहायक सचिव(तक0), क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की समिति द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे, जो समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

Desk/Rajyadesh

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। लाभुकों का वृत्तिका एवं प्रशिक्षकों का मानदेय DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या–*03/उ0नि0/मलवरी प्रशिक्षण– 03–02/2019* के पृष्ठ 04/टि0 पर दिनांक 22.01.2019 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 03/उ0नि0/मलवरी प्रशिक्षण– 03–02/2019 *पटना,दिनांक–*

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/बाँका/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 03/उ0नि0/मलवरी प्रशिक्षण– 03–02/2019 *पटना,दिनांक–*

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), मुजफ्फरपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 03/उ0नि0/मलवरी प्रशिक्षण– 03–02/2019 699 *पटना,दिनांक–* 31-1-19

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Desk/Rajyadesh